उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-126/2019/2030/92-2-2019-24एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 27 सितम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र में निर्माण कार्यो के भुगतान रोके जाने एवं विभागीय अधिकारी के रूप में प्रखण्डीय कार्यालय सोनभद्र का वातावरण अनुकूल न रखने व निर्माण कार्य के सुचारू रूप से सम्पादित न कराये जाने पर श्री नूर आलम, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र को जॉच समिति की जांच आख्या दिनांक 07-06-2019 में उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1441/92-2-19-24एम/19, दिनांक 05-07-2019 द्वारा श्री नूर आलम, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए निर्धारित समयावधि में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री नूर आलम, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र द्वारा अपने पत्र दिनांक 06-08-2019 द्वारा स्पष्टीकरण शासन मे उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है-

"अपचारी अधिकारी श्री नूर आलम, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र ने अवगत कराया है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र एवं श्री आलोक सिंह (ठेकेदार), पुत्र श्री इन्द्रसेन सिंह, निवासी ग्राम-मुसही चुर्क सोनभद्र के बीच हुई उत्तेजनापूर्ण वार्तालाप में उनके द्वारा केवल अधिशासी अभियंता महोदय एवं श्री आलोक सिंह, ठेकेदार के बीच उत्तेजनापूर्ण वार्तालाप में केवल बीच-बचाव एवं प्रतिकूल स्थिति को नियंत्रण का कार्य किया गया था ताकि विवाद न बढे, लडा ई झगडेकी स्थिति न उत्पन्न हो, इस क्रम में श्री नूर आलम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 01-03-2019 को वन विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के क्रम में दिशा निर्देश प्राप्त करने हेतु जब वे अधिशासी अभियंता महोदय के कक्ष में गये तब श्री आलोक सिंह, ठेकेदार पहले से अधिशासी अभियंता महोदय के कक्ष में उपस्थित थे, इनके द्वारा बार-बार 3.00 लाख रू0 की मांग की जा रही थी तथा अपने रजिस्ट्रेशन कराने हेतु उत्तेजनापूर्ण वार्तालाप एवं दबाव बनाया जा रहा था तथा अधिशासी अभियंता महोदय के पास जाने का प्रयास किया जा रहा था। तत्पश्चात श्री नूर आलम एवं कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा श्री आलोक सिंह ठेकेदार को डॉट कर बाहर किया गया तथा श्री आलोक सिंह, ठेकेदार द्वारा अपशब्द (गाली) देकर बाहर चले गये। श्री नूर आलम द्वारा अवगत कराया गया कि उनका इस लेनदेन के प्रकरण से कोई संबंध नही है। यदि अपने उच्चाधिकारियो से हो रहे झगडे. में बीच बचाव करने के लिये उन्हें किसी प्रकार का दण्ड दिया जाता है तो यह एक ऐसी धारणा बनेगी कि जिसके बाद उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी से किसी बाह्य/अन्तरिक व्यक्ति से झगडा होता है तो उसमें बीच बचाव का कार्य नही कराया जायेगा। श्री नूर आलम द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 का उल्लंघन नही किया गया न ही प्रखण्ड सोनभद्र में निर्माण कार्यो का भुगतान उनके द्वारा रोका गया है। विभागीय अधिकारी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रूप में प्रखण्डीय कार्यालय सोनभद्र का वातावरण अनुकूल रखने हेतु सदैव प्रयत्न किया गया तथा निर्माण कार्यो को सुचारू रूप से सम्पादित भी किया गया है।"

3- शासन स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री नूर आलम, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र द्वारा विभागीय अधिकारी के रूप में प्रखण्डीय कार्यालय सोनभद्र का वातावरण अनुकूल रखने के साथ निर्माण कार्य को सुचारू रूप से संपादित कराया गया है। अत: शासन के पत्र सं0-1441/92-2-19-24एम/19, दिनांक 05-07-2019 द्वारा श्री नूर आलम, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र के विरूद्ध निर्गत स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा दण्ड रहित समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-126/2019/2030(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री नूर आलम, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सोनभद्र द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।